

समाचार-प्रकाशनार्थ:-

वार्ड 8 व 19 भी आज से बनेगे 0 वेस्ट वार्ड

वार्ड 7 और 17 को जीरो वेस्ट बनाने कार्य रहा सफल

स्व सहायता समूह की महिलाओं को मला रोजगार

रतलाम 04 मार्च । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार रतलाम नगर को जीरो वेस्ट बनाये जाने के प्रथम चरण में वार्ड 7 व 17 में 04 मार्च को कार्य प्रारंभ किया गया जो क नागरिकों के सहयोग से 100 प्रतिशत सफल रहा इसी सफलता को देखते हुए 5 मार्च शुक्रवार को वार्ड 8 व 19 में जीरो वेस्ट का कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने वार्डों की स्वच्छता हेतु नियुक्त पर्यवेक्षकों की बैठक लेकर वार्ड में स्वच्छता संबंधी कार्यए कचरा संग्रहण वाहन आदि की जानकारी ली। इसके अलावा बैठक में बताया गया क वार्ड क्रमांक 7 व 17 को जीरो वेस्ट वार्ड बनाने का कार्य प्रारंभ किया गया जो क 100 प्रतिशत सफल रहा। वार्डों के प्रत्येक घरों से गीले एवं सूखे कचरे को दुर्गा व ईश्वर स्व सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा पृथक पृथक लया गया जिसमें नागरिकों ने उत्साह से सहयोग किया।

नगर निगम द्वारा वार्ड क्रमांक 7 को जीरो वेस्ट वार्ड बनाने हेतु वार्डों में दो कचरा संग्रहण वाहन बिना हैल्पर के भेजे गये जहां पर स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा घर-घर जाकर गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक लेकर निगम के कचरा संग्रहण वाहन में डाला गया तथा एक स्थान पर ले जाकर महिलाओं द्वारा सूखा कचरा निकालकर गीला कचरा जुलवानिया ट्रे ंचिंग ग्राउण्ड भेजा गया। महिलाओं द्वारा सूखे कचरे से प्लास्टिकए पॉलीथीनए बॉटल सहित अन्य सामग्री पृथक कर कबाड़ी को वक्रय की गई जिसका कबाड़ी द्वारा वजन किया जाकर तय मान से दुर्गा स्व सहायता समूह की महिलाएँ पुन्जीबाईए सुरजबाईए धापुबाईए बबलीबाईए जीवनबाई को रा श प्रदान की।

इसी तरह वार्ड क्रमांक 17 को जीरो वेस्ट वार्ड बनाने हेतु वार्डों में दो कचरा संग्रहण वाहन बिना हैल्पर के भेजे गये जहां पर स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा घर-घर जाकर गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक लेकर निगम के कचरा संग्रहण वाहन में डाला गया तथा एक स्थान पर ले जाकर महिलाओं द्वारा सूखा कचरा निकालकर गीला कचरा जुलवानिया टे^a ंचिंग ग्राउण्ड भेजा गया। ईश्वर स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा सूखे कचरे से प्लास्टिक ए पॉलीथीन ए बॉटल सहित अन्य सामग्री पृथक कर कबाड़ी को वक्रय हेतु वजन कराया गया जिसका भुगतान कबाड़ी द्वारा कल किया जायेगा।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया क स्व सहायता समूहों की रैग पकर्स महिलाएँ अपना एवं अपने परिवार का जीवन यापन करने के लये अपने बच्चों के साथ जुलवानिया टे^a चंग ग्राउण्ड पर सूखे कचरे से प्लास्टिक ए रबर ए बॉटल व अन्य सामग्री अलग-अलग करके कबाड़ी को वक्रय कर नारकीय जीवन व्यतीत कर रही थी। जीरो वेस्ट वार्ड बनाने के तहत अब जुलवानिया की रैग पकर्स महिलाओं को वार्डों में ही काम मलने लगा है व इनकी सुरक्षा के लये निगम द्वारा एपीन ए ग्लबस ए मास्क आदि उपलब्ध कराये गये हैं। इन्हे वार्ड में ही कार्य मलने से इनके जीवन स्तर में सुधार होगा।

वार्ड क्रमांक 7 व 17 को जीरो वेस्ट वार्ड बनाये जाने की सफलता व नागरिकों के उत्साह को देखते हुए निगम आयुक्त श्री झारिया ने जीरो वेस्ट वार्ड में 2 वार्ड और शामिल कये जिसके तहत वार्ड 8 व 19 में 05 मार्च शुक्रवार से कार्य प्रारंभ किया गया है जिसमें स्व सहायता समूह की रैग पकर्स महिलाओं को काम मलने के साथ वार्ड जीरो वेस्ट होकर स्वच्छ व सुन्दर बनेंगे।

वार्ड 7 व 17 को जीरो वेस्ट वार्ड बनाये जाने हेतु पूर्व क्षेत्रिय पार्षद श्री प्रहलाद पटेल व श्रीमती अनिता कटारा ने भी घर-घर जाकर कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिकों को समझाईश दी जिस पर नागरिकों ने उत्साह

दिखाया व 100 प्रतिशत घरों से गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक संग्रहित किया जा सका।

उक्त वार्डों को जीरो वेस्ट वार्ड बनाने के दौरान निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारियाए कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यासए इंजीनियर श्री राजेश पाटीदारए श्री मनीष तिवारीए स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संहए वार्ड पर्यवेक्षकए सटी मैनेजर श्री कपील मारोठियाए श्री नितिन तिवारीए दरोगाए आईईसी टीम के सदस्यए दुर्गा एवं ईश्वर स्व सहायता समूह की 5.5 महिलाएँ उपस्थित थीं।

वार्डों को जीरो वेस्ट वार्ड बनाने में स्वच्छता कन्सलटेंट श्री प्रतीक मश्रा के निर्देशन में स्वास्थ्य अ धकारीए वार्ड के इंजीनियरए वार्ड दरोगाए आईईसी टीम व स्वच्छता दीदी कार्य करेंगी जिससे क कचरा उत्पादन स्थल पर कचरे का निष्पादन किया जा सके।

बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया क नगर को गारबेज फ्री सटी बनाने के लिये नगर में कहीं भी कचरा स्थान नहीं बने इसका विशेष ध्यान रखा जाये तथा खुले में कचरा फेंकने वालों पर जुर्माना किये जाने कार्यवाही में तेजी लाई जाये। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया क सभी सड़कों की स्वी पंग कराई जाये साथ ही व्यावसायिक क्षेत्रों में रात्रिकालीन स्वी पंग करवाई जाये।

आयोजित बैठक में उपायुक्त श्री विकास सौलकीए सहायक आयुक्त श्रीमती ज्योति सुनारियाए कार्यपालन यंत्री श्री जी.के. जायसवालए स्वच्छता कन्सलटेंट श्री प्रतीक मश्राए सहायक यंत्री श्री एम.के. जैनए निगम सचिव श्री जसवन्त जोशीए स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संहए उपयंत्री सर्वश्री सुहास पंडतए बी.एल. चौधरीए अनवर कुरेशीए राजेश पाटीदारए विकास मरकामए मनीष तिवारीए ब्रजेश कुशवाहए दीक्षा निजामपुरकरए सद्धार्थ सोनीए सुश्री दीक्षा निजामपुरकरए श्रीमती अनिता ठाकुरए स्टेनोग्राफर श्री प्रमोद तिवारीए सटी मैनेजर श्री कपील मारोठियाए श्री नितिन तिवारीए कार्यालय अधीक्षक श्री रामचन्द्र शर्माए श्री बी.एल. चावरेए झोन प्रभारी श्री

करण चौहानए श्री पर्वत हाड़ेए उद्यान पर्यवेक्षक श्री धर्मेन्द्र दोगायाए श्री अनील पाराए उप स्वच्छता पर्यवेक्षकए दरोगा आदि उपस्थित रहे।

क वताएगायन और भाषण के माध्यम से बताया स्वच्छता का महत्व स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 के तहत शैरानीपुरा (हरिजनबस्ती) में जागरुकता कार्यक्रम के तहत क्षेत्रीय नागरिकों वशेषकर बच्चों ने लया बढचढ कर हिस्सा

रतलाम 04 मार्च। स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 के तहत स्वच्छता की दौड़ में रतलाम को नम्बर-1 बनाने के प्रयासों के चलते आज नगर निगम पा लक की और स्वच्छता जागरुकता कार्यक्रम आयोजित कया गया। जिसमें कशोरी बालकाओं और महिलाओं ने क वताए गायन और भाषण के माध्यम से उम्दा तरीके से स्वच्छता का महत्व बताते हुए कहां क अगर हम अपने शहर से प्यार करते है तो इसे स्वच्छ और सुंदर बनाए रखना चाहिए।

नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देश उपायुक्त श्री विकास सौलकी के मार्गदर्शन में शहर के शैरानीपुरा (हरिजन बस्ती) मांगलक भवन में आयोजित स्वच्छता जागरुकता कार्यक्रम स्वास्थ्य अधिकारी एपी संहए प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी एमके जैन और महिला एवं बाल विकास वभाग की प्रभारी परियोजना अधिकारी सुश्री उषा लम्बोदिया की उपस्थिति में हुआ। इस मौके पर भाषणए गायनए मेंहदीए चत्रकलाए भाषणए रांगोली सहित आधा दर्जन स्पर्धाओं का आयोजन कया गया। इस मौके पर आयोजित स्वास्थ्य परीक्षण शर मेें डॉ.शहनाज सैय्यदए डॉ. पंकी बोरीवालए डॉ.नेहा संह ने अपनी सेवाएं दी।

कार्यक्रम को संबोधत करते हुए प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री एमके जैन ने संबोधत करते हुए कहां क स्वच्छता का सही अर्थ है क हम अपने शरीरए मन और अपने आसपास के परिवेश को स्वच्छ रखेंए क्यों क स्वच्छता जीवन के लए काफी लाभदायक हैए स्वच्छ रहने से लोग बीमार नहीं होंगे तथा स्वास्थ्य जीवन जी सकेंगे। तन-मन व अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने का बच्चों और महिलाओं से कया। नगर

निगम शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के तमाम प्रयास कर रहा है। ऐसे में नागरिक भी अपना दायित्व निभाते हुए शहर को स्वच्छता की दौड़ में नम्बर-1 बनाए। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती ललता घोसर ने किया और आभार श्रीमती परवीन खान ने माना।

गायन, भाषण और कविता से दिया स्वच्छता का संदेश

सैकड़ों क्षेत्रीय रहवासी व शेषकर बच्चों की मौजूदगी में आयोजित स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम में बच्चों की प्रतिभा देखते ही बनती थी। इन्होंने यहां भाषण, कविता और गायन के माध्यम से स्वच्छता का महत्व यहां मौजूद महिला और पुरुषों को बताया और खूब दाद भी बटोरी। यहां निकाली गई स्वच्छता जागरूकता रैली में भी बच्चों ने स्वच्छ रतलाम-सुंदर रतलाम के नारे लगाए।

पुरस्कार पाकर खल उठे चेहरे

कार्यक्रम के दौरान आयोजित रांगोली स्पर्धा में बेहतर प्रदर्शन के लिए कु.धराएनंदनीए खुशी और रीदा को पुरस्कृत किया गया। इसी तरह चित्रकला में सुहानाए अलीशा माजिदए अलीशा मुज्जफर और निशांत कोए मेंहदी प्रतियोगिता में गो सयाए खुशनुमाए मोब सराए प्रीतीए माहीए फाल्गुनीए इफ्कत को पुरस्कृत किया गया। निबंध प्रतियोगिता के लिए साई कुमारए यश कुमारए नबीलाए राशए भव्य सोलकी और शखा को पुरस्कृत किया गया।

20 व्यक्तियों पर स्पॉट फाइन कर 8 किलो पॉलीथीन जब्त

50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग प्रतिबंधित

उपयोग व भण्डारण पर होगी जब्ती व लगेगा दण्ड

रतलाम 04 मार्च | षासन निर्देशानुसार नगरीय क्षेत्र रतलाम में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व प्लास्टिक उपयोग प्रतिबंधित किये जाने के तहत कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।

नगर निगम के स्पॉट फाईन दल द्वारा ऐसे दुकानदार व सब्जी वक्रेता जो क गंदगी कर रहे थे व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग कर रहे थे उन पर की गई जुर्माने की कार्यवाही के तहत वपूलए नितिनए अलकापुरीए दीपक बेकरी कस्तुरबा नगरए पर 250.250ए गोपाल व दो अन्य कस्तुरबा नगरए प्रवीणए रोहितए महलवाड़ाए राजेश नगर निगम तिराहाए सुभाश कालेज रोडए षुभम्ए पार्वतीबाईए दिनेषए बग्दी पर 100.100ए कान्हा जाट व चार अन्य पर 50.50 रूपये का जुर्माना कर भ वश्य में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग ना करने की समझाईष दी गई व लगभग 9 कलो पॉलीथीन जब्त की गई।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया क नगरीय क्षेत्र रतलाम में सब्जीए फल-फुरट व अन्य सामग्री के फुटकर व्यवसायी अगर 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का उपयोग करते हैं तो उन पर 50 रूपये का अर्थदण्ड कया जाकर पॉलीथीन जब्त की कार्यवाही की जायेगी। इसी तरह दुकानदारो द्वारा 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का उपयोग व भण्डारण करता है तो उस पर 5000६ रूपये का अर्थदण्ड कया जाकर पॉलीथीन जब्त की कार्यवाही की जायेगी।

नगर के नागरिकए दुकानदार व फुटकर व्यापारियों से अपील की जाती है क वे 50 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व प्लास्टिक का उपयोग व भण्डारण ना करें।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संहए झोन प्रभारी श्री करण चौहान व श्री पर्वत हाड़ेए उप स्वच्छता निरीक्षक श्री जय उपाध्याय आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलानेए अतिक्रमण करने पर संबं धतों के वरूद्ध जुर्माना कये जाने का अ भयान निरंतर जारी रहेगा।

अनुपस्थित 52 सफाई संरक्षकों का वेतन काटा

कारण बताओ सूचना-पत्र जारी

रतलाम 04 मार्च। निगम के चारो झोन के वार्डों की सफाई कार्य के निरीक्षण के दौरान नगर के व भन्न वार्डों में 04 मार्च गरूवार को बिना

सूचना के 52 सफाई संरक्षकों द्वारा अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक दिवस का वेतन काटा जाकर अस्थाई कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने व स्थाई कर्मचारियों को निलंबित कये जाने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

वार्डवार पर्यवेक्षकों ने नगर के व भन्न क्षेत्रों में करवाया सफाई का कार्य स्वच्छता कार्य में नियुक्त वार्डवार पर्यवेक्षक अपने-अपने वार्डों में प्रतिदिन भ्रमण करें

प्रतिदिन की रिपोर्ट व्हाट्स एप ग्रुप में अपलोड करें

रतलाम 04 मार्च | स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता में नम्बर 1 बनाने हेतु युद्ध स्तर पर की जाने वाली तैयारियों के संबंध में वार्ड वार नियुक्त पर्यवेक्षकों अपने-अपने वार्डों में सफाई कार्य हेतु पर्यवेक्षण निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार किया जाकर प्रतिदिन के पर्यवेक्षण कार्य की रिपोर्ट व्हाट्स एप ग्रुप में दी जाकर स्वच्छता संबंधी कार्य करवाया जा रहा है।

निगम आयुक्त श्री झारिया के निर्देशानुसार वार्डवार नियुक्त पर्यवेक्षकों ने अपने-अपने वार्डों में भ्रमण कर जानकारी प्रस्तुत की जिसके तहत वेनोबा नगर सरस्वती माता मंदिर उद्यान, ईश्वर नगर, इंदिरा नगर, वनोबा नगर मुक्तिधाम के पीछे, वार्ड क्रमांक 4 की नालियां, वार्ड क्रमांक 33 कार गल उद्यान, वार्ड 47 सुलभ काम्पलेक्स के सामने, ग्लोबस टाउन, षप, दीनदयाल नगर, आईटीआई के आसपास, इन्द्रलोक नगर, गोकुलधाम कालोनी, बाजना बस स्टैंड व काशीनाथ के नोहरे में सफाई का कार्य करवाया गया। इसके अलावा इंदिरा नगर साईं मंदिर उद्यान व इन्द्रलोक नगर उद्यान में कम्पोस्ट पीट लगवाई गई।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड वार नियुक्त पर्यवेक्षकों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने वार्डों में प्रातः 6 बजे से भ्रमण कर वार्डों में साफ-सफाई, विशेष रूप से सड़को, नालियों की सफाई, उद्यानों की साफ-सफाई

व रख-रखाव करवानाए सार्वजनिक दिवारों पर स्वच्छता का संदेश देने वाली वॉल पेंटिंग करवानाए सर्वेक्षण के मानक अनुसार वार्डों में साइनेज का कार्य करवानाए वार्डों में उचित दूरी पर इस्टबीन रखवानाए कचरा संग्रहण वाहनों की मॉनीटरिंग करनाए कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिकों को प्रेरित करनाए पृथक्कीकरण अवस्था में कचरा टे^a चंग ग्राउण्ड पर पहुंचानाए वार्डों में आईईसी गति व ध्यां संचालन कर नागरिकों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करनाए कचरा संग्रहण वाहनों की जीपीएस टे^a कंग करवानाए थोक कचरा उत्सर्जन वाले संस्थानों में उनके ही स्थल पर जैविक खाद निर्माण करवानाए नागरिकों को होम कम्पोस्टिंग कये जाने हेतु प्रेरित कये जाने के साथ ही अपने-अपने वार्डों चन्हित बेस्ट पाइंट विशेष सफाईए स्वच्छता संदेश की वॉल पेंटिंगए सौन्दर्यीकरण आदि कार्य करवाये जाने के निर्देश दिये।

इसके अलावा नियुक्त पर्यवेक्षक प्रतिदिन के कार्यों की रिपोर्ट प्रतिदिन सांय 6 बजे प्रस्तुत करे व स्वच्छता के कार्य को सुगम बनाने व कार्य में गति प्रदान करने हेतु नियुक्त पर्यवेक्षक व्हाट्स एप ग्रुप प्रतिदिन की रिपोर्ट अपलोड करें।

प्रताप नगर उद्यान के पास आज लगेगा निगम का बकाया वसूली शर नागरिकों ने 45ए21ए144ए संपत्तिकर व 9ए88ए130ए जलकर जमा कराया रतलाम 04 मार्च । नागरिकों की सुवधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधित करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली शर 18 जनवरी से आयोजित कये गये है जो 27 मार्च तक चलेंगे।

आयोजित शरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरणए जलकरण दुकानए गुमटी करायाए लायसेंस शुल्क एवं विकास शाखा से संबंधित भवन की कष्ट तथा भू-भाटक की बकाया राश जमा करा सकेगें। निगम द्वारा आयोजित शरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर शर में संपत्तिकर 1ए10ए000ए व जलकर 6ए000ए मालवा नगर लक्ष्मणपुरा शर में संपत्तिकर 1ए40ए000ए व जलकर 55ए775ए अम्बे माता जवाहर नगर शिरि में संपत्तिकर 2ए38ए000ए व जलकर 49ए010ए वनोबा

नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए29ए000६ व जलकर 43ए670६ए अलकापुरी कम्प्यूनिटी हॉल ष वर में संपत्तिकर 1ए22000६ व जलकर 29ए280६ए तिरूपति ष वर में संपत्तिकर 77ए000६ व जलकर 19ए850६ए कोमल नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए27ए000६ व जलकर 48ए220६ए मार्निंग स्टार स्कूल ष वर में संपत्तिकर 1ए12ए000६ व जलकर 14ए000६ए कस्तुरबा नगर ष वर में संपत्तिकर 5ए47ए000६ व जलकर 86ए540६ए प्रयदर्षनी नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए02ए000६ व जलकर 3ए76ए905६ए डोंगरे नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए82ए500६ व जलकर 76ए470६ए हाट रोड ष वर में संपत्तिकर 68ए000६ व जलकर 47ए595६ए कलीमी कालोनी ष वर में संपत्तिकर 1ए17ए000६ व जलकर 22ए680६ए राजेन्द्र नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए01ए644६ व जलकर 55ए320६ए काटजू नगर ष वर में संपत्तिकर 2ए76ए000६ व जलकर 59ए500६ए वेदव्यास कालोनी ष वर में संपत्तिकर 26ए62ए144६ व जलकर 6ए71ए025६ए कल्याण नगर ष वर में संपत्तिकर 71ए000६ व जलकर 19ए000६ए दीनदयाल नगर ष वर में संपत्तिकर 2ए47ए000६ व जलकर 64ए780६ए बोहरा बाखल ष वर में संपत्तिकर 4ए92ए000६ व जलकर 66ए715६ए रामगढ ष वर में संपत्तिकर 1ए60ए000६ व जलकर 34ए340६ए लक्कड़पीठा प्याऊ के पास ष वर में संपत्तिकर 2ए30ए000६ व जलकर 44ए230६ए धानमण्डी ष वर में संपत्तिकर 2ए07ए000६ व जलकर 33ए940६ए जूनि कोर्ट करण टॉ कज ष वर में संपत्तिकर 1ए84ए000६ व जलकर 56ए350६एआनन्द कालोनी ष वर में संपत्तिकर 86ए000६ व जलकर 35ए140६ की रा ष जमा कराई। इस तरह नागरिकांे ने अब तक आयोजित ष वरों में 45ए21ए144६ संपत्तिकर व 9ए88ए130६ जलकर की रा ष जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित कये गये वसूली ष वरो के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 28 के लये 5 मार्च को प्रताप नगर उद्यान के पासए वार्ड क्रमांक 13 के लये 6 मार्च को महावीर नगरए वार्ड क्रमांक 39ए 40 व 41 के लये 8 से 9 मार्च तक पैलेस रोड तिराहाए वार्ड क्रमांक 25ए 26 व 27 के लये 10 मार्च को चौगानिया भेरूए वार्ड क्रमांक 24ए 25 व 42 के लये 12 व 15 मार्च को षक्षा वभाग सायर चबुतराए वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लये 16 व 17 मार्च तक

चौमुखीपुल प्यारु के पास ए वार्ड क्रमांक 41 के लये 18 से 19 मार्च तक बजाजखाना गणेश देवरी ए वार्ड क्रमांक 33 ए 34 व 35 के लये 20 व 22 मार्च को षास्त्री नगर सेंटरल बैंक के पास ए वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लये 23 से 24 मार्च तक दो बत्ती चौराहा ए वार्ड क्रमांक 30 ए 31 ए 32 व 34 के लये 25 से 26 मार्च तक स्टेशन रोड दिलबहार चौराहा व वार्ड क्रमांक 16 व 17 के लये 27 मार्च को टाटा नगर में कार्यालयीन समय में ष वर आयोजित कये गये है।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध कया गया है क निगम द्वारा उक्त ष वर बकायादारों की सु वधा के लए आयोजित कये गये है इन आयोजित ष वरों में बकायादार अपनी बकाया रा ष जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

गंदगी करने वालो पर स्पॉट फाईन हेतु दल का गठन नागरिक भी गंदगी करने वालो की सूचना दल को दें

रतलाम 04 मार्च। नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क खुले में ए नाले-ना लयों में कचरा डालते है व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का वक्रय ए उपयोग व भण्डारण करते है उन पर जुर्माना कये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने दल का गठन कर स्पॉट फाईन हेतु वाहन भी उपलब्ध कराया है।

गठित दल में वराट मेहरा ए उप स्वच्छता पर्यवेक्षक मो.नं. 9770326691 को दल प्रभारी नियुक्त कया है इसके अलावा मनोज टांक मो.नं. 7000848456 ए पवन झांझोट मो.नं. 7000128812 ए आकाष षन्दे ए मनोज झांझोट ए राकेष ललावत दल प्रभारी के साथ रहकर नगर में नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क खुले में ए नाले-ना लयों में कचरा डालते है व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का वक्रय ए उपयोग व भण्डारण करते है उन पर जुर्माना करेंगे व जो दुकानदार जुर्माने के बाद भी निरंतर गंदगी करते है उनकी दुकाने सील करने की कार्यवाही करेंगे।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है क शहर को गंदा करने वाले नागरिकोंए दुकानदारों आदि की जानकारी उक्त मोबाईल नम्बरों पर देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेश्यों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा

709 मवेश्यों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा

रतलाम 04 मार्च । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानोंए सड़कोए चौराहों पर स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेश्यों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवेश्यों को पकड़ा जायेगा क्यों क मवेशी पालको द्वारा दिन में मवेश्यों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 13 अक्टूबर से अभियान चलाया गया तथा 04 मार्च तक शहर के व भन्न क्षेत्रों से 709 मवेश्यों को पकड़ा जाकर जिले की व भन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 04 मार्च गुरुवार को चौमुखी पुल व दीनदयाल नगर से 2 मवेशी निगम के स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानोंए सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेश्यों का पालन करना नियम वपरित हैए ऐसे मवेशी पालक जो क शहरी क्षेत्र में अनुमति के वपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवेश्यों का पालन किया जा रहा है वे स्वयं अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर रा श वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो क अपना घोड़ा या अन्य कसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोड़ेगा व उससे कसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड कये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड रा श रूपये 500६ वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से वचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए०पी० सिंहए झोन प्रभारी श्री करण चौहानए श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा की गई।

निगम द्वारा युद्ध स्तर पर कये जा रहे हैं लीकेज दुरस्त
133 दिनों में 160 वॉल्व व 895 पाईप लीकेज दुरस्ती का कार्य पूर्ण

रतलाम 04 मार्च । शहर की जलप्रदाय व्यवस्था को निरंतर बनाये रखने तथा जलप्रदाय व्यवस्था को ओर अधिक सुदृढ बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार पाईप लाईन व वॉल्व लीकेज दुरस्त करने का कार्य जलप्रदाय वभाग द्वारा 23 अक्टूबर से प्रारंभ कया गया जिसके तहत 04 मार्च तक 159 वॉल्व व 884 पाईप लाईन लीकेजों को दुरस्त कया जा चुका है।

‘ ‘रतलाम जलशक्ति अभियान’ ’ व्हाट्स एप ग्रुप में लीकेज की समस्या को अपलोड कया जा रहा है तथा अपलोड की गई लीकेज संबंधी समस्या का तत्काल निराकरण करवाया जा रहा है जिसके तहत 04 मार्च गुरुवार को जवाहर नगर सी कालोनीए राम मंदिर के सामनेए तेजा नगरए सखवाल नगर पाटिल स्क्रीन के पास पाईप लाईन लीकेज दुरस्त करवाये जाने के साथ टैंकर रोड पर वॉल्व लीकेज दुरस्त करवाया गया इसके अलावा दीनदयाल नगर टंकी के समम्पवेल के मोटर पम्प का रबर बदला गया।

उक्त कार्यवाही कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यासए जलप्रदाय वभाग प्रभारी श्री सत्यप्रकाश आचार्यए उपयंत्री श्री सुहास पंडतए श्री भैयालाल

चौधरी के अलावा श्री नीरज यादव ए श्री मोहन आदि के निर्देशन में की गई।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के वरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 04 मार्च । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ संकल्पित है जिसके तहत वार्डों की सड़क व गली व सार्वजनिक स्थल व नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगी व कचरे के ढेर व नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारी वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण की दी समझाईश स्वच्छता के लिये नागरिक दे रहे हैं फीडबैक

रतलाम 04 मार्च । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरों व दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक संग्रहित किये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डवाईन के सदस्यों द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक-पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक-पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के

पृथक-पृथक भागों में डालने की समझाईश दी साथ ही नागरिकों से स्वच्छता हेतु स्वच्छता एप पर सटीजन फीडबैक लया।

सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें

रतलाम 04 मार्च । रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाडए निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मशन के तहत सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने के लये भारत सरकार द्वारा तैयार कये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमकर्मियों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के व भन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी।

स्वच्छ भारत मशन के तहत कये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लये रतलाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शिकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लये अपने एन्ड्रॉयड मोबाईल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करें। उसके पश्चात एप को इन्सटाल करें। इन्सटाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड करें। इसके बाद अपना जीपीएस ऑन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शिकायत का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शिकायत नगर निगम के पास आयेगी ओर उसका तत्काल निराकरण कया जायेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदारों को रखना होंगे 4 डस्टबीन खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालो पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी

अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 04 मार्च । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो क अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अप शष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे है व दुकानों के सामने

गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात् कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्रीए फल-सब्जी के छिलकेए घांस व पेड़ की पत्तियांए राखए चाय पत्तीए बचा हुआ खाना आदि के लये हरा डस्टबीनए सूखा कचरा अर्थात् पुस्टाए अखबारए लोहाए कपड़ाए शालए कांचए पै कंग मटेरियलए टुटे खलौनेए प्लास्टिक आदि के लये नीला डस्टबीनए घरेलू हानिकार कचरे के लये पेन्ट के डब्बेए पेस्टीसाइड के डब्बेए सीएफएलए ट्यूबलाईटए थर्मामीटरए बैटरी आदि के लये काला डस्टबीन तथा मे डकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीनए डायपरए सुईए संरिजए मास्कए ग्लब्सए पीपीई कीट आदि के लये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिष्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के व भन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबं धत के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000.5000 हजार का जुर्माना करेगी।

समाचार/ज.सं. व. हेमन्त /04ण03ण2021ध्न.पा.निगमए रतलाम.